तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 3047 / 2005 / जयपुर** **श्यामलाल बनाम बोदूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.1.2020	**<u>एकल पीठ</u>** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थितिः–** श्री योगेन्द्र सिंह,अधिवक्ता प्रार्थी श्री माधोराज सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी **<u>निर्णय</u>** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230, के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 17/2004 शीर्षक "बोदूराम बनाम श्यामलाल" में पारित आदेश दिनांक 14–6–2005 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की ओर से दिनांक 08.1. 2020 को प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रैक, चौमूॅ के समक्ष विचाराधीन मूल वाद संख्या 178/202/2003 बोदूराम बनाम श्यामलाल में वादी/अप्रार्थी का वाद दिनांक 28–6–2017 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया है जिसकी कोई कार्यवाही वादी/अप्रार्थी द्वारा नहीं की गई है। अतः मूल वाद खारिज हो जाने से यह निगरानी निगरानी प्रभावहीन हो जाती है, अतः निगरानी प्रभावहीन होने से खारिज की जाये। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की इस प्रार्थना पत्र पर दिनांक 10.1.2020 को बहस सुनी गई, जिसके आदेशार्थ पत्रावली हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रकरण मे सुस्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा दिनांक 19.1.2004 के द्वारा धारा 212 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किया गया था जो कि मूल वाद संख्या 178/202/2003 बोदूराम बनाम श्यामलाल में प्रस्तुत किया गया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील धारा 225 के तहत प्रस्तुत होने पर निर्णय दिनांक 14–6–2005 पारित किया गया, जिसके विरुद्ध वर्तमान निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। स्पष्ट है कि मूल वाद जिसमें ये कार्यवाही की गई है वह दिनांक 28–6–2017 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया है जिसकी कोई कार्यवाही वादी/अप्रार्थी द्वारा नहीं की गई है। अतः मूल वाद का निर्णय हो जाने से यह निगरानी प्रभावहीन हो चुकी है। फलतः अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिक आपत्ति के आधार पर यह निगरानी प्रभावहीन होने से **खारिज** की जाती है साथ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 3047 / 2005 / जयपुर** **श्यामलाल बनाम बोदूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ही ये व्यवस्था दी जाती है कि यदि परीक्षण न्यायालय के समक्ष मूल वाद को पुनः रैस्टोर किया जाता है तो निगरानी को पुनः नम्बर पर लिया जा सकेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	